कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुरादाबाद।

पत्रांकः प– 19 / सीएफओ / एमडीडी–16

दिनांकः दिसम्बर 24 ,2016

सेवा में,

अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0 / रा0)
मुरादाबाद।

विषयः ग्राम लदावली कॉठ रोड तहसील कॉठ जिला मुरादाबाद में खसरा संख्या 242 में प्रस्तावित सी0एन0जी0 रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति आख्या के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भः आपका पत्रांकः 227 / आबकारी सहायक / 2016 दिनांकः 20–12–2016 ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक, सन्दर्भित पत्र के क्रम में जिसके द्वारा ग्राम लदावली कॉठ रोड तहसील कॉठ जिला मुरादाबाद में खसरा संख्या 242 में प्रस्तावित सी0एन0जी0 रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति आख्या उपलब्ध कराने हेतु अपेक्षा की गयी है। उक्त के अनुपालन में अग्निशमन अधिकारी मुरादाबाद श्री आर0के0 सिंह द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराया गया उनकी आख्या के अनुसार आख्या निम्नवत् है :–
1–प्रश्नगत रिटेल आउटलेट के सामने 12 मीटर चौड़ाई का रोड उपलब्ध है जो मानको के अनुसार है।
2–प्रश्नगत स्थल के ऊपर से कोई विद्युत लाईन नही गुजर रही है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रश्नगत रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु पेट्रोलियम एक्ट–1934 तथा उसके रूल्स के अनुसार अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी प्राविधान किये जाने अनिवार्य होगें जो निम्नवत है :–
1–45 लीटर क्षमता की 02 अदद मैकेनिकल फोम ट्राली।
2–ए0बी0सी0 टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 10 किग्रा0 के 04 अदद।
3–नो स्मोकिंग बोर्ड स्थापित कराया गया है।
4–02–02 अदद सैण्ड फायर बकेट एवं वाटर बकेट स्थापित कराये गये है।
5–प्रश्नगत रिटेल आउटलेट के आस–पास अन्य कोई ज्वलनशील पदार्थ का भण्डारण नही है।

अतः प्रश्नगत पैट्रोल पम्प हेतु अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी प्रोविजनल अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति आख्या निम्नलिखित प्रतिबन्धो के साथ निर्गत की जाती है:–
1–प्रश्नगत सी0एन0जी0 रिटेल आउटलेट सभी निर्माण कार्य पेट्रोलियम एक्ट–1934 एवं सम्बन्धित पेट्रोलियम रूल्स विषयक समय–समय पर यथा संशोधित विधियो एवं तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि मे उल्लेखित विधि के अनुरूप कराया जायेगा।
2 प्रश्नगत सी0एन0जी0 रिटेल आउटलेट के ऊपर से किसी प्रकार हाई / लो टेंशन विद्युत लाईन नही गुजारी जायेगी
3–प्रश्नगत सी0एन0जी0 रिटेल आउटलेट परिसर में हाउस कीपिंग उच्च कोटि की होगी।
4–प्रश्नगत सी0एन0जी0 रिटेल आउटलेट पर मानचित्रो मे दर्शाये गये पेट्रोल पदार्थो के अतिरिक्त अन्य कोई ज्वलनशील भण्डारण नही किया जायेगा ।
5–प्रश्नगत सी0एन0जी0 रिटेल आउटलेट भण्डारण स्थल पर नियुक्त समस्त स्टाफ को प्राथमिक अग्निशमन यन्त्रों को चलाने की जानकारी के साथ ही अग्नि सुरक्षा नियमो की जानकारी होना आवश्यक है।
6– सी0एन0जी0 रिटेल आउटलेट पर किसी भी प्रकार के पदार्थो या स्थितियो आदि जो चिगारी आग उत्पन्न करते है का प्रयोग वर्जित होगा तथा इसमे समुचित उपाय उपलब्ध रखे जायेंगे।
7–भण्डारण स्थल पर विद्युत सुरक्षा व्यवस्था इण्डियन इलैक्ट्रिसिटी एक्ट एवं भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0–1646:1982 तथा सम्बन्धित नियमो मे निर्धारित मानको के अनुसार कराई जानी अनिवार्य होगी।

कृ0प0प0............

CFO

SITI ENERGY LIMITED
MORADABAD

3-- उपरोक्तानुसार स्थापित समस्त अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में रखा जायेगा।

अतः उपरोक्त शर्तो के अधीन प्रश्नगत सी0एन0जी0 रिटेल आउटलेट के निर्माण के उपरान्त उपरोक्तानुसार अग्निशमन उपकरणो को स्थापित कराये जाने की शर्त पर प्रश्नगत रिटेल आउटलेट हेतु अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति आख्या इस शर्त पर निर्गत की जाती है कि प्रश्नगत रिटेल आउटलेट के निर्माण के उपरान्त कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अग्नि शमन विभाग से अन्तिम अनापत्ति प्रामाण पत्र प्रप्त करना होगा अन्यथा की स्थिति में निर्गत [illegible] की गयी अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(वी0के0 सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुरादाबाद।

(वी0 के0 सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुरादाबाद

प्रतिलिपिः-अग्निशमन अधिकारी, मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Satish Chandra Kumar
10/04/2015

SITI ENERGY LIMITED
MORADABAD

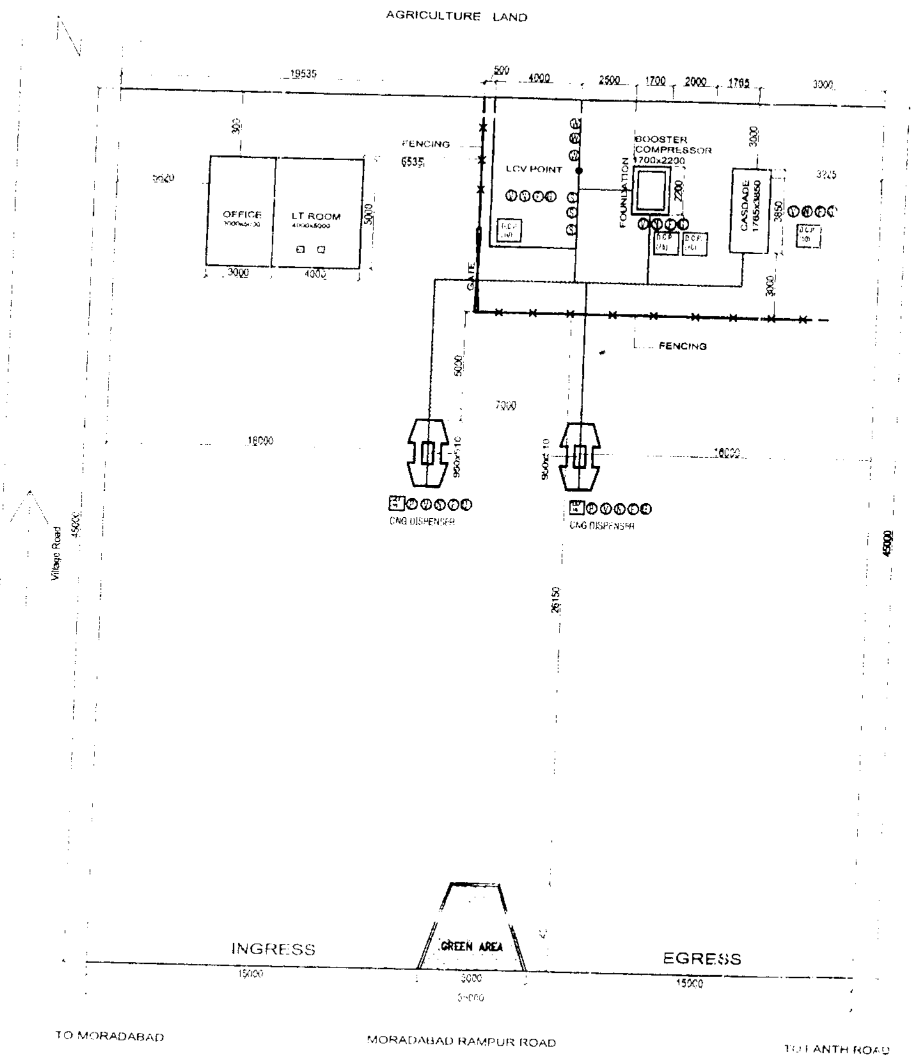

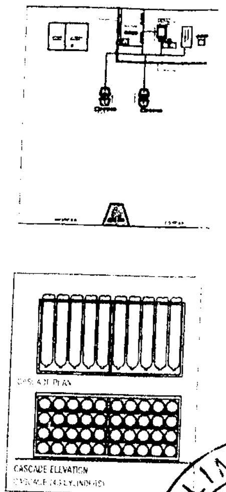

NOTES:
ALL DIMENSIONS ARE IN MM.
ALL DIMENSIONS ARE TO BE READ AND NOT MEASURED.
THIS DRAWING MUST BE READ IN CONJUNCTION WITH ALL RELEVANT ARCHITECTURAL AND ENGINEERING DRAWINGS.
ANY DISCREPANCY IN THE DRAWINGS MUST BE BROUGHT TO THE NOTICE OF THE ARCHITECT BEFORE EXECUTION OF THAT WORK AT SITE.
THIS DESIGN AND DRAWING IS THE PROPERTY OF SEL.
THIS DRAWING CANNOT BE COPIED OR REPRODUCED IN PART OR IN WHOLE, AND CANNOT BE HANDED OVER TO ANY THIRD PARTY WITHOUT THE PRIOR PERMISSION OF SEL.
THIS DRAWING CANNOT BE USED FOR ANY OTHER PURPOSE OTHER THAN FOR WHICH IT HAS BEEN PRODUCED.

NOTE :-
ALL DIMENSIONS ARE IN MM.
±0.00 LVL. CORROSPONDS TO THE EXISTING PAVEMENT TOP LVL.
GAS STORAGE SYSTEM AND DISPENCER IS CONNECTED BY S.S. TUBE WORK FROM COMPRESSOR DISCHARGE.
THE PROPOSED CNG FACILITIES ARE DESIGNED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING CODE AND GUIDELINES:
GUIDELINES:
A NZS 5425 - 1980
B PETROLEUM RULES - 1976
C GAS CYLINDER RULES - 2004 (GOVT. OF INDIA)
D GUIDE LINES OF CHIEF CONTROLLER OF EXPLOSIVES NAGPUR. IS: 2147.

LEGEND

(S)	SAND BUCKET	3 Nos
(W)	WATER BUCKET	3 Nos
	"NO SMOKING" SIGN	5 NOS
	"STOP VEHICLE" SIGN	5 NO.
	"NO OPEN FLAME PERMITTED" SIGN	5 NOS
	"FLAMMABLE GAS" SIGN	5 NOS
(P)	SIGN SHOWING DETAILED PRECAUTIONS AND PROCEDURE OF REFUELLING	2 NOS
	DCP (10 KG) FIRE EXTINGUISHER	5 NOS
	DCP (75 KG) FIRE EXTINGUISHER	1 NO
	CO2 FLOODING SYSTEM	-
	[illegible]	2
	CEILING LIGHT POINT	
	STAINLESS STEEL GAS TUBING [illegible]	

SITI ENERGY LIMITED MORADABAD

सलग्नक अनुमोदित मानचित्र
पत्रांक ...... सी०एफ०ओ०/एन ओ सी/2014
दिनांक ...... 24/12/2014 अंकित प्रतिबन्धों के आधीन।
24/12
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुरादाबाद

S.NO	EQUIPMENT LIST	SERVICE	QTY	REMARKS
1	GAS DISPENSER	CNG	[illegible]	[illegible]
2	BOOSTER	CNG	[illegible]	[illegible]

DETAILS OF CNG CASCADES & CYLINDERS

S.NO	[illegible]	NOS OF CASCADE	NOS OF CYLINDERS/CASCADE	TOTAL NOS OF CYLINDERS	WATER CAPACITY PER CYLINDER	[illegible]	TOTAL WATER CAPACITY
[illegible]	[illegible]	[illegible]	40	40	[illegible]		2800

PROJECT
PLOT NO. 242, VILLAGE LADAVALI KANTH ROAD, MORADABAD
DRAWING TITLE
CNG STATION AT KANTH ROAD
APPLICANTS SIGNATURE
M/S GREEN ENERGY SOLUTION
DRAWING NO
DATE 10-11-2016